अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

...

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 जून, 2010.

अधिसूचना

सं. 1/2010/ फा.सं. 1–67/2010/सा.प्र. । भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय और दिनांक 3 जून, 2010 के पत्र संख्या यू–1301019/4/2010–ए.एन.एल. के अनुसार सूचित किए गए के अनुसरण में उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से संबंधित सभी मुद्दों पर उप राज्यपाल को सलाह देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक प्रशासक की सलाहकार समिति का गठन करते हैं :–

1.	उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	अध्यक्ष
2.	संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, संसद सदस्य	सदस्य
3.	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	सदस्य
4.	सभी जिला परिषदों के अध्यक्ष	सदस्य
5.	प्रत्येक वर्ष पारी के आधार पर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्वाचित एक पार्षद	सदस्य
6.	प्रत्येक वर्ष पारी के आधार पर प्रत्येक जिला परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य	सदस्य
7.	संघ राज्य क्षेत्र के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष/प्रमुख	सदस्य
8.	प्रत्येक प्रमुख राजनैतिक दलों का एक प्रतिनिधि जिसे संबंधित दल द्वारा मनोनित किया गया है	सदस्य
9.	सिविल सोसाइटी की प्रतिनिधित्व करने वाले 5 व्यक्ति जिन्हे उप राज्यपाल द्वारा मनोनित किया गया है	सदस्य
10.	मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	संयोजक

यदि उक्त क्रम सं. 2 से 8 में कोई महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो उक्त क्रम संख्या 9 के अन्तर्गत कम से कम परिषद का एक सदस्य महिला और एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होगा ।

अध्यक्ष जैसा उचित समझे किसी भी सरकारी सदस्य अथवा आवश्यकतानुसार किसी भी मंत्रालय से किसी भी अधिकारी को आमंत्रित कर सकता है ।

गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित होगा ।

गृह मंत्रालय के पास इस परिषद के गठन में समय–समय पर परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

परिषद की बैठक 3 माह में एक बार होगी ।

(लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह,पी.वी.एस.एम.,ए.वी.एस.एम.
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एम.ए.आरिफ)
सहायक सचिव (सा.प्र.)
फा.सं. 1–67/2010/सा.प्र